मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक–एफ–16–498 / 2011 / बी–1 / दो, भोपाल, दिनांक 26.03.2011
प्रति,

समस्त आयुक्त,
समस्त जिला दण्डाधिकरी,
मध्यप्रदेश।

विषय–व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारुद नीति।

भारत सरकार व्दारा पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारुद के संबंध में संशोधित नीति जारी की गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट http:/www.mha.nic.in पर संगठनात्मक ढ़ाचा अन्तर्गत आर्म्स गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा–II प्रभाग में शस्त्रों के अर्जन / रखने के निर्देश उपलब्ध हैं। साथ ही साथ राज्य शासन व्दारा पूर्व में जारी किये गये शस्त्र लायसेंस से संबंधित समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है।

i) निषिध्द बोर (पीबी) हथियारों के लिये शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना–

1. इस श्रेणी के शस्त्रों के लिये उपरोक्त पत्र में दर्शित श्रेणी के व्यक्तियों को, दर्शित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिये प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किये जाये।

ii) गैर–निषिध्द बोर (एनपीबी) हथियारों के लिये शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना–

2. गैर–निषिध्द बोर (एनपीबी) हथियारों के लिये नवीन शस्त्र लाइसेंस प्रदाय की स्वीकृति भारत सरकार के निर्देश के अनुरुप जिला दण्डाधिकारी व्दारा की जायेगी।

2.1 राज्य शासन व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को, पद एवं कार्य की प्रकृति के कारण सामान्य खतरा उत्पन्न होता है, इसको दृष्टिगत रखते हुये निम्न दर्शित श्रेणी के व्यक्तियों को शस्त्र लायसेंस सामान्यतः अधिकतम दो की सीमा में स्वीकृत किये जायेगे, जिसमें एक

पिस्टल/ रिवाल्वर का लायसेंस राज्य शासन की पूर्वानुमति से जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

i) केन्द्र सरकार के मान.मंत्री एवं सांसद।

ii) राज्य सरकार के मानमंत्री एवं विधायक।

iii) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

iv) सैनिक एवं अर्ध सैनिक बल के कर्नल एवं उनके वरिष्ठ पद तथा उनके समकक्ष श्रेणी के अधिकारी।

v) राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर।

vi) राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक।

vii) न्यायिक सेवा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी।

viii) नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं नगर पालिका के अध्यक्ष।

ix) राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जैसे कि ख्यातिप्राप्त निशानेबाज (Renowned Shooter)।

2.2. उपरोक्त दर्शित व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों के लिये खतरे के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश की कंडिका (ii) के अनुरुप ही शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये जायेंगे।

2.3 पिस्टल/रिवाल्वर के प्रस्ताव पूर्ववत राज्य शासन की पूर्वानुमति से जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2.4 कंडिका 2.1 में वर्णित व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों को सामान्यतः एक से अधिक शस्त्र रखने की नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।

2.5 राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों जैसे ख्यातिप्राप्त निशानेबाज की पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों के दो से अधिक शस्त्रों के प्रस्ताव गृह विभाग को अग्रेषित किये जायेगे।

2.6 रिवाल्वर/पिस्टल के लायसेंस भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप आवेदक का पूर्ववृत तथा खतरे का आंकलन, शस्त्रों को संभालकर रखने की क्षमता आदि विवरण के साथ **संलग्न पत्रक कमांक–1** में प्रस्ताव गृह विभाग को अग्रेषित किये जायेगे।

2.7 नवीन शस्त्र लायसेंस की अनुज्ञप्ति हेतु जिला दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एवं राजस्व

अधिकारियों से 45 दिनों की अधिकतम सीमा में प्राप्त हो जाये। 45 दिन से अधिक सीमा अवधि लगने पर पुलिस अधीक्षक संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुध्द दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार राजस्व कार्यालय में 45 दिन से अधिक लंबित रहने पर संबंधित के विरुध्द दण्डात्मक कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

2.8 वर्तमान में जितने भी प्रकरण लंबित है उसे 15 दिन की अवधि में निराकृत कर दिये जाये तथा 1 अप्रेल की स्थिति में 60 दिन से अधिक लंबित होने पर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में लंबित प्रकरणों की **सूची संलग्न पत्रक कमांक–3** में गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

iii) पारिवारिक कुलागत नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाना :–

3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की कंडिका–III का पालन किया जाये तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक V–11016/16/2009 दिनांक 7.1.2011 में नाती (Grand Children) को भी शामिल किया गया है।

iv) गोला बारुद की मात्रा :–

4. वर्तमान में प्रत्येक शस्त्र के लिये एक वर्ष में 10 कारतूस कय करने तथा धारण करने की अधिकतम 25 कारतूस की सीमा निर्धारित की गई है। परन्तु पूर्व में जारी कुछ शस्त्र लायसेंसों पर इससे अधिक मात्रा भी स्वीकृत है। भारत सरकार के परिपत्र की कंडिका–IV में निर्देशों के अनुरुप निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था लागू की जाती है–

4.1 कंडिका 2.1 में दर्शित व्यक्तियों एवं जान को गंभीर खतरे के आधार पर स्वीकृत शस्त्र लायसेंसधारी व्यक्तियों के लिये 50 कारतूस तथा शेष अन्य व्यक्तियों के लिये 30 कारतूस के धारण करने की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी।

4.2 उपरोक्त सीमा किसी व्यक्ति विशेष को जारी किये गये समस्त शस्त्रों के लिये रहेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के पास तीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत हैं, तो तीनों शस्त्रों को मिलाकर उसे किसी भी समय में अधिकतम 50 या 30 (जो भी लागू हो) कारतूस रखने की पात्रता होगी।

4.3 कंडिका 2.1 में दर्शित व्यक्तियों एवं जान को गंभीर खतरे के आधार पर स्वीकृत शस्त्र लायसेंस के उत्तराधिकारी को हस्तांरित होने पर 30 कारतूस की पात्रता ही रहेगी।

4.4 किसी के पास एक से अधिक अनुज्ञप्ति मौजूद है, तो नवीनीकरण के समय एक ही अनुज्ञप्ति पर समस्त शस्त्र अंकित किये जायेंगे।

4.5 उपरोक्त निर्देश वर्तमान में स्वीकृत पुराने शस्त्र लायसेंसों पर भी लागू किये गये हैं।

v) गोला–बारुद के प्रयोग की सूचना देनाः–

5. भारत सरकार व्दारा जारी निर्देशों के अनुरुप गोलाबारुद की सूचना देना अनिवार्य किया गया है। सूचना देने के संबंध में राज्य शासन व्दारा निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है –

5.1 लायसेंस के साथ पृथक से एक बुकलेट रखी जायेगी जिसमें शस्त्र लायसेंसधारी द्वारा निम्न कॉलमों में जानकारी अंकित की जायेगी –

सक	प्रयोग का दिनांक	स्थान	फायर किये गये बुलेट की संख्या	उद्येश्य

5.2 शस्त्र विकेता खाली खोखे प्राप्त किये बिना नया कारतूस किसी भी शस्त्र लायसेंस पर आदेश दिनांक से विकय नहीं करेंगे बशर्ते कि किसी लायसेंसधारी को कारतूस रखने की क्षमता में वृध्दि की गई हो या पूर्व में उसके पास स्वीकृत कारतूस की संख्या से कम संख्या में कारतूस कय किया गया हो।

5.3 यदि किसी शस्त्र लायसेंसधारी व्दारा राज्य के बाहर कारतूस का कय किया गया हो, उस स्थिति में नवीनीकरण के समय खाली खोखे जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा कराये जायेंगे।

5.4 व्यक्तिगत लायसेंसधारियों व्दारा कारतूस फायर करने की स्थिति में एक माह के अन्दर जिला दण्डाधिकारी को **संलग्न पत्रक कमांक–4** में जानकारी उपलब्ध करायेगे तथा इसकी प्रतिलिपि संबंधित थाना प्रभारी (जहां लायसेसधारी का शस्त्र दर्ज है) को देगें।

5.5 भारत सरकार, की कंडिका–V अनुसार प्रत्येक जिला दण्डाधिकारी त्रैमासिक आधार पर लायसेंसधारी व्दारा इस्तेमाल किये गये गोला–बारुद का प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजेगें। यह प्रतिवेदन प्रत्येक त्रैमास के बाद अगले महिने की आखरी तिथि तक भेजना सुनिश्चित किया जाए। जैसे

कि वर्ष 2011 के प्रथम त्रैमास की जानकारी 30 अप्रेल तक राज्य शासन को भेज दी जाये।

5.6 इसी प्रकार शस्त्र विक्रेता द्वारा क्रय–विक्रय किये गये शस्त्र एवं कारतूस की जानकारी जिला दण्डाधिकारी को भेजी जायेगी।

5.7 खाली खोखे गुम होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों के आधार पर लायसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी कारतूस क्रय करने की अनुमति दे सकेंगे।

vi) प्रवासी भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति–

6. भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

vii) शस्त्र लाइसेंस की क्षेत्र वैधता–

7. भारत सरकार व्दारा राज्य शासन को अधिकतम तीन समीपस्थ राज्यों की क्षेत्र वैधता की अनुमति देने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है तथा साथ में निम्न व्यक्तियों के अनुरोधों पर अखिल भारतीय वैधता देने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है –

1. पदासीन माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण एवं ससंद सदस्य
2. सेना, अर्ध्द सैनिक कार्मिकों
3. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों
4. भारत में कहीं भी सेवा करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
5. खिलाड़ियों के अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर

7.1 राज्य शासन व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के मान. मंत्रीगण एवं विधायकगणों को अखिल भारतीय क्षेत्र वैधता के लिये क्षेत्र वृध्दि की जायेगी।

7.2 अखिल भारतीय वैधता के लायसेंस को तीन वर्ष के बाद नवीनीकरण करने का अधिकार जिला दण्डाधिकारी के स्थान पर राज्य शासन को प्रत्यायोजित किये गये है।

7.3 उपरोक्त कंडिका 7 एवं 7.1 में दर्शित व्यक्तियों के अलावा शेष व्यक्तियों को तीन राज्यों की अधिकतम सीमा के लिये प्रस्ताव **संलग्न पत्रक कमांक–2** में निम्न परिस्थितियों में ही राज्य शासन को अग्रेषित किया जाये । बशर्ते कि इन व्यक्तियों की जान को गंभीर खतरा हो या किसी कारण से गंभीर खतरा होने की संभावना हो अर्थात नये नियमों के अन्तर्गत उन्हें नवीन शस्त्र लायसेंस की पात्रता आती हो:–

(क) ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में (तीन राज्यों की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत) कार्यरत है और उनका स्थाई निवास पड़ोसी राज्य में है, तो उन्हें स्थाई निवास के राज्य की सीमा तक।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी है एवं अन्य राज्य में स्थाई तौर पर कार्यरत है, उन्हें भी तीन राज्यों की अधिकतम सीमा में कार्यरत राज्य के क्षेत्र वैधता तक।

(ग) ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार अन्य राज्यों में हो तथा व्यापार का सामान्यतः टर्न ओव्हर पर्याप्त है तथा उनके व्दारा एक लाख रुपये का वार्षिक आयकर गत वर्षों में दिया गया है, तो व्यापार के आधार पर तीन पड़ोसी राज्यों की सीमा तक।

viii) **नवीनीकरण–**

8. भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

8.1 भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप अखिल भारतीय वैधता के लायसेंस कंडिका–7 में दर्शित श्रेणी को छोड़कर शेष व्यक्तियों को भारत सरकार की पुर्वानुमति के पश्चात दिया जाना है तथा पूर्व में जारी अखिल भारतीय वैधता के शस्त्रों का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष बाद राज्य शासन स्तर पर किया जाना है। पूर्व में अखिल भारतीय वैधता के स्वीकृत लायसेंसों की सख्या बहुत अधिक है। अतः पूर्व में जारी एक से अधिक राज्यों के लिये क्षेत्र वैधता लायसेंस में नवीनीकीरण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी द्वारा की जायेगीः–

(क) जिन व्यक्तियों को अधिकतम तीन पड़ोसी राज्यों की सीमा के लिये लायसेंस स्वीकृत है उनका पूर्ववत नवीनीकरण जिला दण्डाधिकारी व्दारा किया जायेगा।

(ख) कंडिका–7 एवं 7.1 में दर्शित अखिल भारतीय वैधता के नवीनीकरण प्रस्ताव **पत्रक कमांक–5** में राज्य शासन को अग्रेषित किये जायेगे।

(ग) कंडिका 7 एवं 7.1 में दर्शित व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों को यदि तीन राज्यों की सीमा से अधिक की क्षेत्र वैधता का लायसेंस स्वीकृत है, तो उनके नवीनीकरण के समय केवल मध्यप्रदेश के लिये ही नवीनीकृत किया जायेगा। यदि किसी विशेष प्रकरण में मध्यप्रदेश से बाहर के लिये क्षेत्र वैधता का लायसेंस

स्वीकृत किया जाना है, तो उस परिस्थिति में कंडिका 7.3 के मापदण्ड पूर्ण करने पर ही तीन राज्यों की सीमा तक का नवीनीकरण जिला दण्डाधिकारी व्दारा किया जायेगा ।

8.2 यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक लायसेंस स्वीकृत है तो नवीनीकरण समस्त शस्त्रों की प्रविष्टि एक ही लायसेंस में की जायेगी। पूर्व में जारी किये गये कारतूस की मात्रा को भी कड़िका 4.1 के अनुरूप नवीनीकृत किया जायेगा।

8.3 यदि किसी को पूर्व में खेल के नाम पर स्वीकृत किया गया है, परन्तु वह व्यक्ति वर्तमान में पिछले तीन वर्षों से खेल प्रतियोगिता में भाग लेना बंद कर दिया हो, तो उसे भी इसी सीमा के अन्तर्गत कारतूस की मात्रा स्वीकृत की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

26/3/11

(एल.पी.जैन)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन,गृह विभाग

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–16–498/2011/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 26.03.2011

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आतंरिक सुरक्षा–II प्रभाग आर्म्स अनुभाग, 9 वां माला, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली की ओर उनके अनुदेश क्रमांक V-11016/16/2009-आर्म्स, दिनांक 31 मार्च, 2010 के अनुक्रम में कृपया सूचनार्थ
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

26/3/11

(एल.पी.जैन)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन,गृह विभाग

पत्रक कमांक–1

पिस्टल/रिवाल्वर के नवीन लायसेंस हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा अग्रेषित किये जाने वाला प्रतिवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम .....
.....

2. पिता/पति का नाम .....
.....

3. आवेदक का वर्तमान पता .....
.....
.....

4. आवेदक का स्थाई निवास का पता .....
.....
.....

5. यदि आवेदक जिले का स्थाई निवासी नहीं है तो पिछले 05 वर्षो के निवास स्थल की जानकारी का विवरण :–

स. क.	निवास अवधि		पूर्ण पता
	कब से	कब तक	
1.			
2.			
3.			

6. आवेदक के पहचान, आयु एवं निवास संबंधी एक–एक दस्तावेज संलग्न करें:–

स. क.	प्रकार	संलग्न दस्तावेज का विवरण
1	पहचान	
2	आयु	
3	निवास	

7. आवेदक का व्यवसाय .....

8. आवेदक की गत तीन वर्ष में कुल आय एवं अदा किये गये आयकर का विवरण :–

	वर्ष	कुल आय	अदा किये गये आयकर
प्रथम	200 –200		
द्वितीय	200 –200		
तृत्तीय	200 –200		

9. आवेदक के पास चल/अचल सम्पत्ति का विवरण :–

	संपति का नाम	**क्षेत्रफल**	**भूखण्ड/मकान का पता**	**अनुमानित बाजार मूल्य**
1.	कृषि भूमि			
2.	आवासीय भूमि			
3.	आवास			
4.	वाहन			
5.	आभूषण			
6.	बैंक खातों नगद जमा शेयर आदि			
7.	अन्य			

10 आवेदक ने यदि ऋण भुगतान नहीं किया हो या किसी संस्था का देयक (बिजली बिल, सम्पत्ति कर आदि) का भुगतान नही किया हो, उसका विवरण दें:–

संस्था का नाम	**लंबित राशि**	**कब से है**

11 आवेदक यदि शासकीय सेवा में हो तो निम्न विवरण दे–

पद	**विभाग का नाम**	**वर्तमान पदस्थापना एवं किस दिनांक से कार्यरत**	**वेतनमान एवं ग्रेड पे**	**किस श्रेणी का अधिकारी है**	**नियुक्ति दिनांक**

12 यदि आवेदक सेना/केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस का कर्मचारी है तो विवरण एवं कमांडिग आफिसर का एनओसी भी संलग्न करें:–

यूनिट (सेना/केंद्रीय पुलिस/राज्य पुलिस)	**पदस्थापना स्थल का नाम**	**वर्तमान पद एवं वेतनमान**	**कमाण्डिंग अधिकारी का नाम एवं दूरभाष**

13 आवेदक या परिवार के सदस्यों के पास पूर्व से मौजूद हथियार लायसेंस का विवरण –

स्र.क.	आवेदक का रिश्ता	शस्त्र लायसेंसों की संख्या	शस्त्र लायसेंस का प्रकार एवं स्वीकृत शस्त्र लायसेंस की छायाप्रति
1			
2			
3			

14 क्या आवेदक व्दारा निर्धारित फार्म में प्रस्तुत आवेदन पत्र विशेषकर उसके भाग 'स ' एवं भाग 'बी' में दिये गये थे, विवरण का सत्यापन कर लिया गया तथा क्या सत्यापन पर उसके व्दारा दी गई जानकारी सही पाई गई है – .....
.....
.....
.....
.....

15 आवेदक के विरुध्द दर्ज अपराध/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का विवरण यदि है तो–

सक	अपराध/ इस्तगासा कमांक एवं धारा	थाना	जिला	अपराध का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय से निराकरण का विवरण

16 क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आवेदक के विरुध्द न्यायालय या शैक्षणिक संस्था से निष्कासन आदि या सेना में कोर्ट मार्शल की कार्यवाही आदि की गई हो तो उसका विवरण–

17 क्या आवेदक को किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष से जान को गम्भीर खतरा है, उसका स्पष्ट विवरण– .....
.....
.....

18 आवेदक की शस्त्रों को संभालकर रखने की क्षमता

19 आवेदक का पूर्ववृत या अन्य कोई सूचना जिससे पुलिस प्राधिकारी लायसेंस प्रदाय करने अथवा इंकार करने के लिये प्रांरम्भिक समझे ।

20 पुलिस अधीक्षक का अभिमत एवं संक्षिप्त विवरण .....
.....
.....

21. जिले एवं ग्राम/मोहल्ला में स्वीकृत शस्त्र लायसेंसों की संख्या–

कमांक	शस्त्र का प्रकार	लायसेंसी हथियारों की कुल संख्या		इस वर्ष में जारी नये लायसेंसों की संख्या	
		जिले में	गांव में	जिले में	गांव में
1	पिस्टल/रिवा.				
2	एम.एल.गन				
3	बे.एल.गन				
4	रायफल				
5	अन्य कोई				

22 जिला दण्डाधिकारी व्दारा अनुशंसा कारण सहित .....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर–
नाम ( )
जिला दण्डाधिकारी
जिला.....
दिनांक .....

पत्रक कमांक–2

शस्त्र लायसेंस की क्षेत्रवैधता वृद्धि हेतु जिलादण्डाधिकारी द्वारा अग्रेषित किये जाने वाला प्रतिवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम एवं आयु .....

.....

2. पिता/पति का नाम .....

3. आवेदक का वर्तमान पता .....

.....

3. आवेदक का स्थाई पता .....

.....

4. स्वीकृत शस्त्र लायसेंस का विवरण

स. क.	शस्त्र का प्रकार	अनुज्ञप्ति क. एवं दिनांक	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी	शस्त्र क्रय की दिनांक	कब तक नवीनीकृत	लायसेंस का वर्तमान क्षेत्र
1						
2						
3						

.....

5. आवेदन करते समय किस सीमाक्षेत्र की मांग की गई थी

6. शस्त्र लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति .....

7. आवेदक की गत तीन वर्ष में कुल आय एवं अदा किये गये आयकर का विवरण

वर्ष		कुल आय	जमा किया आयकर
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

7. क्षेत्रवृद्धि हेतु दर्शाये गये कारण .....

7.1 यदि आवेदक राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित है तो पद/कार्यक्षेत्र

7.2 यदि आवेदक व्यवसायी है तो व्यवसाय का नाम व कार्य क्षेत्र

वर्ष	कुल टर्न ओवर	जमा सेवाकर	जमा वेट
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

7.3 यदि आवेदक शासकीय सेवा में है तोः–

(अ) पद एवं श्रेणी .....

(ब) कार्यरत स्थान का नाम एवं विभाग .....

(स) मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन .....

7.4 यदि आवेदक सुरक्षा गार्ड की नौकरी में तैनात है तो –

(अ) संस्था का नाम एवं कब से कार्यरत है .....

(ब) संस्था द्वारा कार्य करने के संबंध में जारी अनुभव प्रमाण पत्र, वेतन आदि की जानकारी सहित .....

9. क्या आवेदक को किसी व्यक्ति/समूह विशेष से जान को खतरा है, का स्पष्ट आधार देंगे एवं उसका विवरण .....

10. दर्शाये गये कारण का औचित्य यदि बताया गया हो तो विस्तृत विवरण दिया जाये। व्यापार या शासकीय सेवा का प्रकार एवं उसके परिप्रेक्ष्य में परिक्षण कर औचित्य दर्शाया जाये। .....

8. पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा .....

जिला दण्डाधिकारी
जिला——————

पत्रक कमांक–3

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में 60 दिन से अधिक लंबित रहने वाले प्रकरण की जानकारी

स. क.	आवेदक का नाम	विषय	कार्यालय में प्राप्ति दिनांक	की गई कार्यवाही	लंबित रहने का कारण	सत्यापन हेतु पुलिस विभाग/ राजस्व विभाग में 45 दिन से अधिक लंबित रहने पर की गई कार्यवाही

पत्रक कमांक–4

कारतूस फायर करने की स्थिति में जानकारी

प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,

जिला–––––––

विषय–शस्त्र से किये गये फायर की जानकारी देने के संबंध में ।

मैं..... पुत्र..... निवासी..... स्थाई पता..... ..... शस्त्र लायसेंस कमांक..... जिला.....से स्वीकृत हुआ है। मेरा लायसेंस दिनांक.....तक नवीनीकृत है तथा उसका सीमाक्षेत्र .....स्वीकृत है।

मेरे द्वारा आज दिनांक.....को.....बजे स्थान .....पर उक्त शस्त्र से निम्नलिखित परिस्थितियों में .....चक फायर किया गया है।

अतः उक्त शस्त्र से .....चक फायर की सूचना दे रहा हूँ कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्रतिलिपि–

थाना प्रभारी, थाना .....जिला ..... की ओर उपरोक्तानुसार कृप्या सूचनार्थ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पत्रक कमांक–5

जिलादण्डाधिकारी द्वारा अखिल भारतीय वैधता नवीनीकरण हेतु अग्रेषित किये जाने वाला प्रतिवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम एवं आयु .....

   .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. आवेदक का वर्तमान पता .....

   .....

3. आवेदक का स्थाई पता .....

   .....

4. स्वीकृत शस्त्र लायसेंस का विवरण

स. क.	शस्त्र का प्रकार	अनुज्ञप्ति क. एवं दिनांक	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी	शस्त्र क्रय की दिनांक	कब तक नवीनीकृत	लायसेंस का वर्तमान क्षेत्र
1						

6. शस्त्र लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति .....

7. आवेदक की गत तीन वर्ष में कुल आय एवं अदा किये गये आयकर का विवरण

वर्ष		कुल आय	जमा किया आयकर
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

7.1 यदि आवेदक राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित है तो पद/कार्यक्षेत्र

7.2 यदि आवेदक शासकीय सेवा में है तोः–

(अ) पद एवं श्रेणी .....

(ब) कार्यरत स्थान का नाम एवं विभाग .....

(स) मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन .....

8. क्या आवेदक को किसी व्यक्ति/समूह विशेष से जान को खतरा है, का स्पष्ट आधार देंगे एवं उसका विवरण .....
.....

9. दर्शाये गये कारण का औचित्य यदि बताया गया हो तो विस्तृत विवरण दिया जाये। व्यापार या शासकीय सेवा का प्रकार एवं उसके परिप्रेक्ष्य में परिक्षण कर औचित्य दर्शाया जाये। .....
.....
.....
.....

10 पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा .....
.....
.....
.....
.....

जिला दण्डाधिकारी
जिला——————